न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 36 / 2023

1 नागरमल सैनी स्व. जगन उम्र 65 साल जाति माली निवासी कालेरी ढाणी तन बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नौरंग पुत्र हनुमानाराम उम्र 60 साल जाति माली निवासी कालेरी ढाणी तन बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू।
2 झंडुराम उम्र 55 साल पुत्र हनुमानाराम उम्र 60 साल जाति माली निवासी कालेरी ढाणी तन बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.11.2022 उनवानी
प्रकरण नागरमल बनाम नौरंग वगै. न्यायालय उपखंड
अधिकारी महोदय झुन्झुनू दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
प्रकरण संख्या 147 / 2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री ओमप्रकाश सैनी, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 25.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा 147/2016 में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा हेतु इस आशय का पेश किया गया था कि वादी की भूमि खसरा नम्बर 241 रकबा 3.33 हैक्टेयर भूमि में जगनाराम के वारिसानों व वादी के हिस्से में 1/8 भूमि आई। वादी अपने हिस्से की भूमि दक्षिण पश्चिम में कुआ बनाकर को काश्त कर रहा और भूमि के चारों तरफ तारबंदी कर रखी है। वादी के खेत के दक्षिण से सटकर एक सड़क कासिमपुरा से हीरो की ढ़ाणी जाती है। और एक रास्ता वादी के खेत से पश्चिम से सटकर वादी के खेत में से लालपुर कच्चा रास्ता जाता है और वादी के खेत सटकर खसरा नम्बर 241 में पश्चिम में मकान बनाकर आबाद है। उक्त लोग वादी के तहत में से जबरन रास्ता निकालना चाहते है। इस प्रकार उसे भूमि में से नया रास्ता रोकने के उद्देश्य से स्थाई निषेधाज्ञा का

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने जवाब दावा पेश कर दिया उसके बाद प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके आधार पर वादी को बिना सुने ही वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का हवाला दिया गया है वो वादी के मुकदमें में लागु नहीं होता है वादी अपनी खातेदारी की भूमि में अलग से बंटवारा कर तारबंदी लगाकर अपने हिस्से की भूमि में कुआ बनाकर अलग से सिंचाई करता है ऐसी स्थिति में अन्य सहखातेदारों को वादी के रूप में पक्षकार बनाये जाने कि आवश्यकता नहीं है चूकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 211 (2) के अनुसार वादी अलग से अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है इसलिए धारा 211 की उपधारा 3 वादी पर लागु नहीं होती है उपधारा 3 में भी यह व्यवस्था है कि वादी अपने अधिकारों के लिए अलग से वाद प्रस्तुत कर सकता है चूकि प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि बतौर वादी पक्षकार बनाया जावे जबकि उपधारा 3 में यह बताया है कि किसी मांग की वसूली के लिए अन्य कार्यवाही के लिए जब कोई वाद लाया जाता है तो सहखातेदार वादी बनने से इंकार होते है तो उन अवशिष्ट सह खातेदारों को प्रतिवादी बनाया जा सकता है परन्तु वादी का यह दावा किसी अधिकार की मांग के लिए नहीं किया जा रहा है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा का वाद है जिससे अन्य सहखातेदार प्रभावित नहीं है और इसके आधार पर वादी का दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। दावे में दर्ज प्लीडिंग व जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम कर दोनों पक्षों कि साक्ष्य लेकर वाद का निस्तारण करना चाहिए था। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की वहां पर न तो कोई खातेदारी की भूमि है जिसमें उक्त लोग बसे हुए है वो भूमि दुसरे खातेदार भागोती पत्नी रामकरण सुशीला पत्नी मूलचंद के खातेदारी की भूमि है उक्त लोग वादी के खेत के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बीच में से जबरन रास्ता निकालना चाहते है जो उनको अधिकार नहीं है इसलिए वादी का वाद पत्र आदेश 07 नियम 11 में खारिज होने से वादी के अधिकारों का हनन हो रहा है इसलिए प्रकरण को साक्ष्य लेकर बाद में निस्तारण करना चाहिए था। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने अपने दावे के साथ जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 पेश कर रखी है जिसमें वादी के अलावा अन्य सहखातेदारों का नाम भी दर्ज है। दावे का अवलोकन किया तो दावे में केवल एक खातेदार नागरमल ने दावा किया बाकी सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रतिवादी ने प्रा. पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत होने के बाद भी वादी ने सहखातेदार को पक्षकार बनाने बाबत कोई प्रा पत्र प्रस्तुत नहीं किया ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सभी सहखातेदार के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

अपीलांट ने प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 25.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)